अतिशीघ्र / तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054
विधायी कार्य शाखा / प्रश्न कक्ष

संख्या – डी.ई. 25(13) / 508 / एल.डब्ल्यू. / 2024–25 / 6178-79 दिनाँक – 23/03/25

सेवा में,

श्रीमान् उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

विषय– विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या...03.. , दिनाँक – 24.03.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या......03..(100 प्रतियाँ), जो कि दिनाँक–24.03.2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी की पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

Mohinder Pal

(महेन्द्र पाल)
अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)
(MOHINDER PAL)
Additional Director of Education
Directorate of Education
Delhi-110054

संख्या – डी.ई. 25(13) / 508 / एल.डब्ल्यू. / 2024–25 / 6178-6179 दिनाँक – 23/3/2025

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 को 150 प्रतियाँ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

Mohinder Pal

(महेन्द्र पाल)
अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)
(MOHINDER PAL)
Additional Director of Education
Directorate of Education
Delhi-110054

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 3

दिनाँक :–24.03.2025

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– सुश्री आतिशी

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2025–26 में प्राइवेट स्कूलों की कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के अंतर्गत दाखिले के मानदंडों में कुछ बदलाव किया गया है;	जी हाँ, ईडब्ल्यूएस श्रेणी की आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख सालाना कर दी गई है। कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से सफल उम्मीदवारों के प्रवेश की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, शिक्षा विभाग 29 क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए निर्धारित दस्तावेज सत्यापन केंद्रों पर सभी सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन कर रहा है।
ख)	वर्ष 2025–26 व उसके पूर्ववर्ती वर्ष में दाखिले के लिए कितने स्कूल और कितनी सीटें उपलब्ध हैं;	शिक्षा निदेशालय के संबंध में स्कूलों का डेटा और निजी गैर–सहायता प्राप्त स्कूलों में सीटों की संख्या:– <table><tr><th>सत्र</th><th>कुल निजी स्कूलों ने भाग लिया</th><th>ईडब्ल्यूएस/डीजी की प्रारंभिक सीटें</th></tr><tr><td>2024–25</td><td>1484</td><td>28799</td></tr><tr><td>2025–26</td><td>1481</td><td>33212</td></tr></table>
ग)	2025–26 की लाटरी में दाखिले के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया;	सत्र 2025–26 में ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से 33212 छात्रों का चयन किया गया।
घ)	क्या इस वर्ष लाटरी निकालने की प्रक्रिया में पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षा निदेशालय द्वारा कोई बदलाव किए गए हैं, यदि हाँ, तो क्या; और	1. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की समिति गठित की गई है। जिसमें शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय निदेशक (पूर्व), शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण), शिक्षा विभाग के उप–शिक्षा निदेशक (परीक्षा), शिक्षा विभाग के उप–निदेशक (सतर्कता), शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक (आईटी), शिक्षा विभाग के अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) और संयुक्त निदेशक (आईटी), आईटी विभाग, जीएनसीटी दिल्ली के लिए वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक शामिल हैं। शैक्षणिक सत्र 2025–26 के कम्प्यूटरीकृत ड्रा के लिए, कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सर्तकता, आईटी निदेशालय, आईटी से अंतर–विभागीय सदस्यों को शामिल करके इस समिति को और मजबूत किया गया। 2. इसके अलावा, मीडियाकर्मियों और अभिभावकों सहित आम जनता को पूरी प्रक्रिया देखने की सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा निदेशालय कार्यालय परिसर में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए दो बड़ी स्क्रीन भी लगाई गईं। 3. कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के बारे में सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार भी जोन और जिला स्तर पर मीडिया के माध्यम से किया गया।
ड़)	चयनित बच्चों को आवंटित स्कूलों में बिना किसी कठिनाई के दाखिला सुनिश्चित करने के लिए	1. इस बार शिक्षा विभाग के उप–शिक्षा निदेशक (जिला) द्वारा नामित टीम जिसमें की एक प्रिंसिपल और दो वाइस–प्रिंसिपल शामिल हैं, द्वारा सफल छात्रों के आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन सभी 29 अलग–अलग जोन कर रहा है। नामित टीम दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और अनुशंसा,

	शिक्षा निदेशालय क्या विशेष कदम उठाने जा रहा है?	कमी ज्ञापन और अस्वीकृति का आदेश जारी करेगा। कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के बाद, सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन केंद्र के कार्यक्रम और स्थान के बारे में एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी गई। दस्तावेजों के सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम 05.03.2025 के परिपत्र के माध्यम से प्रसारित किया गया है। 2. दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया की देखरेख और अभिभावकों/छात्रों की पता संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए नामित नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नामित क्षेत्रीय टीमों द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद स्कूल द्वारा दस्तावेजों का कोई और सत्यापन नहीं किया जाएगा।

Mohinder Pal

(MOHINDER PAL)
Additional Director of Education
Directorate of Education
Delhi-110054